

**राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, जिला सिरमौर के छात्र निधि लेखों अवधि 04/2010 से
03/2014 का लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।**

भाग—एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का सत्यापन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :-

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 08/2005 से 03/2010

1)	पैरा 2	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्त
2)	पैरा 4	निर्णीत	अवर सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ने पत्र संख्या: इडीएन-ए-सी(11)-2/2009, दिनांक 05.05.2012 द्वारा ₹20,880/- की राशि को मुआफ करने के उपरान्त
3)	पैरा 5	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त
4)	पैरा 6	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त
5)	पैरा 7	निर्णीत	संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने पर
6)	पैरा 8	निर्णीत	₹990/- रसीद संख्या: 4126, दिनांक 10.08.11 द्वारा जमा करने के उपरान्त
7)	पैरा 9	निर्णीत	₹63/- ब्याज के रूप में रसीद संख्या: 4117, दिनांक 27.07.2011 द्वारा जमा किए गए।
8)	पैरा 10	निर्णीत	₹25,058/- की राशि सम्बन्धित निधि में जमा करने के फलस्वरूप
9)	पैरा 11	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त
10)	पैरा 12	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त
11)	पैरा 13	निर्णीत	आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त
12)	पैरा 14	निर्णीत	संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने पर
13)	पैरा 15	निर्णीत	पैरे को निर्णीत करके पुनः वर्ष 04/10 से 03/14 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किया गया

- 14) पैरा 16 निर्णीत संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत करने पर
15) पैरा 17 निर्णीत आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त

भाग—दो

2 वर्तमान लेखा परीक्षा :-

राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ के निधि लेखाओं अवधि 04/2010 से 03/2014 तक की वर्तमान लेखा परीक्षा श्री ज्ञान चन्द शर्मा, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) और श्री राम सिंह चौहान, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 23.03.2015 से 31.03.2015 तक किया गया विस्तृत जाँच हेतु आय के लिए माह 10/2010, 06/2011, 06/2012 और 06/2013 एवं व्यय के लिए माह 10/2010, 10/2011, 02/2013 और 03/2014 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट किया गया है।

वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश संस्था द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने पर पाई जाने वाली अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित होगा।

अंकेक्षणाधीन अवधि 04/2010 से 03/2014 के दौरान प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहे पदाधिकारियों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र० सं०	नाम	कार्यकाल
1.	श्रीमती मोहनी कपूर	01.04.2010 से 31.01.2011
2.	प्र० नवीता गौतम	01.02.2011 से 29.05.2011
3.	श्री जोगिन्द्र सिंह वर्मा	30.05.2011 से 31.05.2012
4.	प्र० उषा राणा	01.06.2012 से 30.07.2012
5.	डा० राम चन्द्र शर्मा	31.07.2012 से 31.03.2014

3 अंकेक्षण शुल्क :-

राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ के लेखाओं अवधि 04/2010 से 03/2014 तक का अंकेक्षण शुल्क ₹32,000/- बनता है। सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) के पत्र संख्या: 3, दिनांक 26.03.2015 द्वारा उक्त राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171009 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया। महाविद्यालय द्वारा अंकेक्षण

शुल्क की राशि ₹32,000/- को हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के ड्राफ्ट संख्या: 397394, दिनांक 27.03.2015 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित किया गया।

4 वित्तीय स्थिति :-

महाविद्यालय की अंकेक्षण अवधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्त आय	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2010-11	3,21,248	3,51,933	6,73,181	2,13,207	4,59,974
2011-12	4,59,974	4,37,490	8,97,464	3,24,189	5,73,275
2012-13	5,73,275	5,07,761	10,81,036	4,38,465	6,42,571
2013-14	6,42,571	5,00,068	11,42,639	4,30,418	7,12,221

उपरोक्त ₹7,12,221/- की अन्तिम शेष की राशि का रख-रखाव निम्न निधियों के अन्तर्गत बैंक खातों में किया गया था :-

क्र० सं०	निधि का नाम	हि०प्र० राज्य सहकारी बैंक राजगढ़ में खाता सं०	राशि
1)	स्पोर्ट्स युवा व अवकाश निधि	12713	13,433.00
2)	पुस्तकालय प्रतिभूति राशि	12716	19,559.00
3)	परीक्षा निधि	12707	2,519.00
4)	पत्रिका निधि	12711	72,739.00
5)	यूनियन निधि	12718	1,40,421.00
6)	मैडिकल निधि	12704	16,615.00
7)	छात्र सहायता निधि	12717	7,130.00
8)	एन०सी०सी० निधि	12705	8,844.00
9)	परिचय पत्र निधि	12715	26,663.00
10)	कल्चरल डेवलपमेंट निधि	12709	23,811.00
11)	रैड क्रॉस निधि	12706	12,073.00
12)	कैम्पस डेवलपमेंट निधि	12708	27,693.00
13)	बुक रिप्लेसमेंट निधि	12703	50,796.00
14)	फर्नीचर रिपेयर निधि	12712	27,702.00
15)	अनुपस्थिति जुर्माना निधि	12968	62,339.00

16)	रोवर्स-रेन्जर एक्टीविटी निधि	12710	1,32,173.00
17)	सोसाईटी क्लब निधि	12757	4,537.00
18)	कम्प्यूटर इन्टरनेट	16375	30,365.00
19)	ज्योग्राफी निधि	16292	32,809.00

कुल योग ₹7,12,221.00

5 अकुशल वित्तीय प्रबन्धन :-

राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ द्वारा प्रस्तुत लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2014 को महाविद्यालय के विभिन्न निधियों के बचत खातों में कुल ₹7,12,221/- शेष थे। बचत खातों पर ब्याज दर सावधि निवेश खातों पर प्राप्त होने वाले ब्याज दर की तुलना में बहुत ही कम होती है। जिससे महाविद्यालय को ब्याज के रूप में लगातार हानि हो रही है। अतः उपरोक्त बचत खातों से यथोचित राशि को सावधि जमा में निवेश करें ताकि महाविद्यालय को ब्याज के रूप में हो रही निरन्तर वित्तीय हानि को रोका जा सके।

6 मिश्रित निधि से ₹2,800/- का अधिक भुगतान :-

(i) मिश्रित निधि के वाऊचर संख्या: 17, माह 10/2011 द्वारा ₹5,600/- का भुगतान मै0 विकास ट्रेडर्ज, सोलन को 4 नम्बर बलेजर व कलर की खरीद के लिए किया गया जो विद्यार्थी संगठन के पदाधिकारियों को आबंटित किए गए। प्राचार्य महोदय द्वारा बलेजर एवं कलर आबंटन की स्वीकृति इस शर्त पर दी थी कि आधी कीमत विद्यार्थी संगठन के पदाधिकारी स्वयं वहन करेंगे। परन्तु जाँच करने पर पाया कि विद्यार्थी संगठनों के पदाधिकारियों से आधी लागत की वसूली नहीं की गई जो ₹2,800/- बनती थी इस प्रकार ₹2,800/- का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सम्बन्धित से की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

(ii) ₹678/- का अधिक भुगतान :-

वाऊचर संख्या: 30, माह 02/2013 द्वारा मिश्रित निधि से ₹7,555/- का भुगतान श्री राजेन्द्र वर्मा, सह आचार्य को राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में हुए यूथ फ़ैस्टिवल के दौरान किए गए खर्चों के लिए किया गया। जाँच के दौरान पाया गया कि उपरोक्त यूथ फ़ैस्टिवल में 14 विद्यार्थियों ने भाग लिया था जबकि बस किराये का भुगतान 15 विद्यार्थियों के हिसाब से किया गया। इस प्रकार एक विद्यार्थी का किराया जो ₹678/- (339x2) बनता है अधिक भुगतान किया गया। अतः राशि की भरपाई करके मिश्रित निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) दिनांक 31.03.2014 को ₹32,690/- का ऋण शेष :-

संस्था द्वारा प्रस्तुत आय/व्यय की विवरणी की जाँच करने पर पाया गया कि मिश्रित निधि से निम्न भुगतान के लिए ऋण के रूप में राशि ₹32,690/- का स्थानांतरण किया गया। यह राशि दिनांक 31.03.2014 तक मिश्रित निधि में वापिस जमा नहीं करवाई गई थी। अतः इस राशि को अतिशीघ्र मिश्रित निधि में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

वाऊचर सं०	माह	राशि	उद्देश्य
17	11/09	11,477.00	बिजली बिल का भुगतान किया गया
1	03/10	3,202.00	बिजली बिल का भुगतान किया गया
27	03/14	10,000.00	हाऊस एग्जामिनेशन फण्ड में हस्तांतरित किए गए
28	03/14	8,011.00	बिजली बिल का भुगतान किया गया
योग		₹32,690.00	

(iv) ₹1,01,470/- का अनियमित भुगतान :-

वाऊचर संख्या: 25, माह 03/14 द्वारा मिश्रित निधि से ₹53,910/- का भुगतान निम्नलिखित मदों के क्रय के लिए किया गया जो मिश्रित निधि में से उचित प्रभार नहीं था। अतः ₹53,910/- की राशि को उचित शीर्ष से प्राप्त करके मिश्रित निधि में जमा किए जाएं तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्र० सं०	मद का नाम	राशि
1)	कम्प्यूटर	37,510.00
2)	प्रिन्टर	10,900.00
3)	यू०पी०एस०	5,500.00
योग		₹53,910.00

इसी प्रकार लाईब्रेरी सिक्वोरिटी फण्ड से दिनांक 03.03.14 को ₹47,560/- का भुगतान निम्नलिखित मदों के क्रय के लिए किया गया जो इस निधि पर उचित प्रभार नहीं था जिसे अब उचित शीर्ष से प्राप्त करके लाईब्रेरी निधि में जमा किया जाए :-

क्र० सं०	वस्तु का नाम	राशि
1)	कम्प्यूटर	42,060.00
2)	यू०पी०एस०	5,500.00
कुल योग		₹47,560.00

7 लाईब्रेरी सक्योरिटी से ₹59,829/- का अनियमित भुगतान :-

वाऊसर संख्या: 9, माह 10/2011 की जाँच करने पर पाया गया कि लाईब्रेरी सक्योरिटी से ₹59,829/- की पुस्तकें मै० पैनक्राफ्ट इन्टरनैशनल, दिल्ली से क्रय की गई जो उपरोक्त निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः ₹59,829/- की राशि को उचित स्रोत से प्राप्त करके लाईब्रेरी सक्योरिटी निधि में जमा किया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

8 बडसर भत्ता भुगतान सम्बन्धित रजिस्टर को तैयार न किया जाना :-

अवधि 04/2013 से 03/2014 के दौरान बडसर को ₹3,000/- का भुगतान किया गया है परन्तु भुगतान से सम्बन्धित रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है इस सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 15 में भी उक्त रजिस्टर को तैयार करने का परामर्श दिया गया था परन्तु महाविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की है। अतः गत वर्ष के पैरे को समाप्त करके पैरे को पुनः वर्ष 04/2010 से 03/2014 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में प्रारूपित किया गया है और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

9 बिना निविदाएँ प्राप्त किए वस्तुओं का क्रय किया जाना :-

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 98 के अनुसार ₹3,000/- से अधिक की खरीद निविदाएँ मंगवा कर की जानी अनिवार्य है जबकि निम्नलिखित मामलों में विभिन्न मदों का क्रय बिना निविदाएँ ही किया गया जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए :-

क्र० सं०	वाऊसर सं०	माह	राशि	विवरण
1)	27	03/14	5,554.00	प्रिन्ट कार्य के लिए मै० हिल प्रिन्टर वर्क्स, सोलन को भुगतान
2)	9	10/10	5,600.00	बलेजर एवं कलर के लिए विकास ट्रेडर्स सोलन को भुगतान
3)	17	10/11	5,600.00	बलेजर एवं कलर के लिए विकास ट्रेडर्स सोलन को भुगतान

10 सरकारी प्राप्तियों का राजकीय कोषागार में मिलान न करना :-

महाविद्यालय द्वारा सरकारी प्राप्तियों जैसे की प्रवेश शुल्क विलम्ब प्रवेश शुल्क व ट्यूशन शुल्क को राजकीय कोषागार में जमा करवाई राशियों से मिलान नहीं किया जा रहा है। अतः जमा करवाई गई राशियों/सरकारी प्राप्तियों का मिलान कोषागार से किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा इस प्रक्रिया को भविष्य में नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के नियम 140 के अनुसार प्रत्येक वर्ष भण्डार के सामान की प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ के भण्डार रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा भण्डार का सत्यापन महाविद्यालय स्थापित होने के उपरान्त नहीं किया गया है जोकि उक्त नियम के अनुसार उचित नहीं है। अतः यह परामर्श दिया जाता है कि भण्डार के सामान का प्रत्यक्ष सत्यापन करने हेतु तुरन्त कार्यवाही की जाए और अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

12 लघु आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया है।

13 निष्कर्ष :- गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने के अतिरिक्त लेखाओं में उचित सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

हस्ता/-
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(xi)(x)146/11-4418-4420 दिनांक:05.08.2015 शिमला-09
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला-171002
2. उप निदेशक (शिक्षा विभाग), हिमाचल प्रदेश, शिमला-171001
- पंजीकृत 3. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, तहसील व जिला सिरमौर को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेजें।

हस्ता/-
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

